

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
पत्रांक 1724/14-1(152381/2022), आगरा, दिनांक, 18 अक्टूबर, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद आगरा में चंदोसी आगरा तौतपुर कोट मार्ग (एस0एच0-39) के किमी0 0.236 के चैनेज 235.030 ग्राम रैना नगर तहसील खेरागढ एवं किमी0 सं0-245 के चैनेज 244.010 ग्राम सरैधी तहसील खेरागढ पर निर्माण खण्ड-2 लोक निर्माण विभाग आगरा द्वारा राज्य सडक निधि योजना के अन्तर्गत राज्य मार्ग सं0-39 की बांयी पटरी पर प्रस्तावित दो टुक ले बाई निर्माण कार्य हेतु 0.408 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक-8बी/यू.पी./06/143/2022/एफ0सी0/572 दिनांक 04.10.2022 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 1267/11-सी दिनांक 07.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति की अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पत्रांक 1880/14-1 दिनांक 12.10.2022 (संलग्न है) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, प्राप्त आख्या के आधार पर आख्या संस्तुति सहित निम्नवत् है:-

S.No	Observation	Reply
1.	The NEI suitable area for plantation for GIS -DSS unilivers 0.08 ha. Which is less than the actual required CA land area.	के0एम0एल0 फाइल संशोधित की दी गयी है।
2.	Positional error has been found in the proposed CA land area. This needs rectification.	संशोधित कर दिया गया है।

भवदीय,



(राकेश चन्द्र)
वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 1724 / समदिनांकित।

1- प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके पत्रांक 1880/14-1 दिनांक 12.10.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(राकेश चन्द्र)

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

o/c